24 जुलाई, 2020 सरकारी आदेश 2020-48

<u>सरकारी आदेश 2020-48</u>
<u>(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या 45)</u>

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय एक ऐसी वैश्विक-महामारी द्वारा उत्पन्न आपदा का सामना कर रहा है जो असाधारण रुग्णता एवं जनहानि का कारण बनी है, 1,40,000 से भी अधिक को संक्रमित कर चुकी है और यह आंकड़ा अभी-भी बढ़ रहा है, और जिसने हजारों निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, सारे समय पर विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय वासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19 (COVID-19)) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पर प्रतिक्रिया देता और अनुकूल बनाता है, यह रोग एक अभिनव, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है और लगातार फैल रहा है और यह कि अभी-भी इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य में निवासियों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, प्रथम प्रतिक्रियादाताओं और सरकारों पर जो बोझ पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, चूंकि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान कोविड-19 (COVID-19) इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का पथ क्या होगा इसके निर्णायक पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 7,300 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की त्रासद जनहानि करने एवं दसियों हजार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर विपत्ति बनकर टूटने के अतिरिक्त, कोविड-19 (COVID-19) ने विपुल आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी पूरे राष्ट्र एवं राज्य में उल्लेखनीय संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों के आर्थिक कुशलक्षेम को ख़तरे में डाले हुए है; और,

जबकि, 24 जुलाई, 2020 को, कोविड-19 (COVID-19) के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी की आपातस्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में, मैं कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-31, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-42, 2020-43, और 2020-45 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूं और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्द्वारा सम्मिलित करता हूं;

अतः, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों की संगति में, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 24 जुलाई, 2020 से प्रभावी होगा:

<u>भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः जारी किया जाना।</u>

कार्यकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-31, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-42, 2020-43, और 2020-45 को इस कार्यकारी आदेश 2020-48 द्वारा निम्नवत एतद्द्वारा पुनः जारी किया जाता है:

<u>कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन (James R. Thompson) केंद्र की बंदी; राज्य कर्मचारियों के लिए रुग्णता अवकाश आवश्यकता का अधित्याग):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2, और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कोई भी बात केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज़) को राज्य कर्मचारियों,

राजकीय कार्यों में भाग लेने/के लिए कार्य करने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फ़ूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन सेंटर में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करती है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-07 (व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मिलने की आवश्यकताएं):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-33 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभागा 6 को **22 अगस्त, 2020** को फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशंस):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-39 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-08 के अनुभाग 2, 3, 4 और 5 को **22 अगस्त, 2020** तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-09 (टेलिहेल्थ):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-09 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-11 (पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेशों के पुनरीक्षण; सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; किशोर न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि:</u>

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1, 2, और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं 22 **अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है, इसके बाद अनुभाग 2 निरस्त कर दिया जाएगा।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-13 (काउंटी जेलों से इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) में दाख़िलों का स्थगन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-13 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड) के उपबंधों का स्थगन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-16 (वाहनों को पुनः कब्जे में लेना; सुरक्षा सेवाओं के लिए कक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का स्थगन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-16 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद अनुभाग 1 निरस्त कर दिया जाएगा।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भांग (केनाबिस) संबंधी समय-सीमाएं एवं आवेदन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शन्स) के कैदियों का अवकाश):

कार्यकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-22 (टाउनशिप बैठकें; अंत्येष्टि निदेशक एवं शवलेपक अनुज्ञापन संहिता (फ़्यूनरल डाइरेक्टर्स एंड एम्बामर्स लाइसेंसिंग कोड); बाल देखभाल अधिनियम 1969 (चाइल्ड केयर एक्ट ऑफ़ 1969) के अंतर्गत स्थापन; स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम (हेल्थ केयर वर्कर बैकग्राउंड चैक एक्ट) के अंतर्गत अंगुलियों के निशानों की प्रस्तुतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-22 के अनुभागों 4, 5, और व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़ को पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न अनुज्ञप्त (लाइसेंसशुदा) पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं वृत्तिक नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा कार्रवाइयां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) न्यायिक उपचार कार्यक्रम (फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम); इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की पड़ताल:

कार्यकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):

कार्यकारी आदेश 2020-26 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद अनुभाग 2(a)-(d) और (f)-(h), 3, 4, और 5 निरस्त कर दिए जाएंगे।

कार्यकारी आदेश 2020-27 (कोविड-19 (COVID-19) परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):

कार्यकारी आदेश 2020-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा अनुज्ञापियों (लाइसेंसीज़) का आमने-सामने शिक्षण या परीक्षा):

कार्यकारी आदेश 2020-29 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-30 (आवासीय निष्कासन कार्रवाइयों की मिसिलबंदी (फ़ाइलिंग); ग़ैर-आवासीय निष्कासन आदेशों का प्रवर्तन; कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिसिलबंदी (फ़ाइलिंग):

कार्यकारी आदेश 2020-33 द्वारा यथा संशोधित एवं नीचे यथा संशोधित एवं आशोधित कार्यकारी आदेश 2020-30 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद ग़ैर-आवासीय परिसरों के लिए निष्कासन के आदेशों के प्रवर्तन पर लगा प्रतिबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

अनुभागा 7. कार्यकारी आदेश 2020-33 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 2 व 3 के वे उपबंध प्रभावी बने रहेंगे जो आवासीय संपत्तियों के लिए आवासीय निष्कासन कार्रवाइयों के आरंभ को और निष्कासन के आदेशों के प्रवर्तन को निषिद्ध करते हैं, ताकि इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण (हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी) आपातकालीन किराया सहायता (एमरजेंसी रेंटल असिस्टेंस) एवं आपातकालीन बंधक सहायता (एमरजेंसी मॉर्गेज असिस्टेंस) कार्यक्रमों के अंतर्गत पात्र किरायेदारों की ओर से सीधे मकानमालिकों या संपत्ति स्वामियों को, या पात्र गृहस्वामियों की ओर से, सीधे बंधककर्ता की ऋण वसूली कंपनी को मौद्रिक सहायता वितरित कर सके।

कार्यकारी आदेश 2020-31 (शिक्षक अनुज्ञा (लाइसेंस) स्वीकृति एवं नियमन तथा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने संबंधी आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-31 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-34 (भांग संबंधी आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-34 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद अनुभाग 2 निरस्त कर दिया जाएगा।

कार्यकारी आदेश 2020-35 (IDPH नियामक गतिविधियां):

कार्यकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 1, और 3-17 को पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है, इसके बाद अनुभाग 1 और 3-13 निरस्त कर दिए जाएंगे।

कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंस)):

कार्यकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):

कार्यकारी आदेश 2020-42 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-43 (चरण 4 समुदाय पुनर्जीवन आदेश):

कार्यकारी आदेश 2020-43 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-45 (भांग (कैनबिस) लाइसेंस):

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **22 अगस्त, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>भाग 2: व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़) ।</u> यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 24 जुलाई, 2020
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 24 जुलाई, 2020